जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-29.08.2025**

पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा शुक्रवार की परेड के दौरान पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण कर, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री राम सेवक गौतम द्वारा पुलिस लाईन में शुक्रवार की परेड के दौरान पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाईन में परेड़ की सलामी ली गई। परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के टर्नआउट व ड्रिल का मुआयना किया गया। पुलिस लाइन में कर्मचारियों के मैस में भोजन की गुणवत्ता, आवासीय बैरक, शौचालय आदि का भ्रमण कर साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया। इस निरीक्षण में पुलिस लाईन की परिवहन शाखा व यूपी-112 शाखा के वाहनों की स्थिति की जानकारी भी की गयी तथा परेड के दौरान पुलिस लाइन में आर0टी0सी प्रशिक्षण अभ्यार्थी भी मौजूद रहे। इसके बाद महोदय द्वारा अर्दली रूम में रजिस्टर चैक किये गये एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये। तदोपरांत महोदय द्वारा नवीन पुलिस लाईन में प्रचलित आर0टी0सी0 की मैस, बैरक एवं अन्य मुलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया एवं प्रशिक्षण अभ्यार्थी से समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी तथा सम्बन्धित को तत्काल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्य, क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र सिंह, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री प्रभा पटेल व प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह व विभिन्न थानों/शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानपुर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.07.2025 को सचिन पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली के भाई राजू चौधरी के खेत पर जाते समय गांव के प्रमोद पुत्र भंवर सिंह उर्फ भोरी, रोहित, कुलदीप आदि के द्वारा लाठी डंडो से मारपीट व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिससे राजू उपरोक्त गंभीर रुप से घायल हो गया था। घटना के सम्बन्ध में सचिन उपरोक्त की दी गई तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष थाना बाबरी को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनाँक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.प्रमोद पुत्र भंवर सिंह उर्फ भौरी निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

2.देवेन्द्र पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
2.है0का0 सन्दीप कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
3.है0का0 सुधीर गिरि थाना बाबरी जनपद शामली।
4.का0 प्रभात कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 27.70 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 5,54000/- रुपये) व इलैक्ट्रॉनिक काटा बरामदः-</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 29.08.2025 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर आजाद पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली को अवैध 27.70 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 5,54000/- रुपये) व इलैक्ट्रॉनिक काटा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 302/2025 धारा 08/21/29 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त आजाद उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-
- आजाद पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण
- अवैध 27.70 ग्राम स्मैक।
- 01 इलैक्ट्रॉनिक काटा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
- उ0नि0 पवन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

•	है0का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 23.40 ग्राम स्मैक बरामदः-</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 28.08.2025 की रात्रि में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर अमजद पुत्र शहीद मौ0 निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को अवैध 23.40 ग्राम सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 301/2025 धारा 08/21/29 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अमजद उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अमजद पुत्र शहीद मौ0 निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरण

•	अवैध 23.40 ग्राम स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 दीपचंद थाना थानाभवन जनपद शामली।
- है0का0 य़शपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
- है0का0 अरविन्द कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। "नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर" बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध कुल 27 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 5,40000/- रुपये) व नगदी बरामदः-</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान "ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर" चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 29.08.2025 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर 1. फैसल पुत्र सादीन निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली 2. शोएब पुत्र हिदायत निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को अवैध कुल 27 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 5,54000/- रुपये) व नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 303/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण फैसल व शोएब उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.फैसल पुत्र सादीन निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली।

2.शोएब पुत्र हिदायत निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 27 ग्राम स्मैक।
- दोनों अभि0 से 1430/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- व0उ0नि0 श्री राहुल सिसौदिया थाना थानाभवन जनपद शामली।
- उ0नि0 श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।
- है0का0 अंकुर निर्वाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
- का0 पंकज शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।
- का0 अनुराग थाना थानाभवन जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

<u>थाना बाबरी/कांधला/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/कांधला/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.बिट्टू पुत्र मुख्तयारा निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.सागर पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।
3.इसरार पुत्र नफीस निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।
4.नफीस पुत्र छोटे निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।
5.मीनू पुत्र नन्हा निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।
6.सौरभ पुत्र रामवीर निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।
7.अजीत उर्फ नीशू पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया केबल के टुकडे, अन्य उपकरण व अवैध चाकू बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 16/17.08.2025 की रात्रि में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भभीसा/डांगरोल के जंगल स्थित ट्यूबवैल/नलकूपों से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 17.08.2025 को वादी श्री पुष्पेन्द्र पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के

निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 चोरों को टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये केबिल के टुकडे, अन्य उपकरण व 02 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.अलीम पुत्र कुम्मेत निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामंली।

2.तसव्वर उर्फ लाला पुत्र रियासत निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये केबिल के टुकडे, अन्य उपकरण ।

2.अवैध 02 चाकू (अभियुक्तगण अलीम व तसव्वर उपरोक्त से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अजीत सिहं थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 तनुज थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 संजय थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा, पेन, व नगदी बरामदः-</u>

दिनांक 28.08.2025 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये सट्टा पर्चा, पेन व 620/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी

के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1.नफीस उर्फ रज्जाक पुत्र कलुवा निवासी मोहल्ला पसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी 620 /- रुपये।

2.सट्टा पर्चा, पेन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.का0 मयन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा की गयी कार्यवाही में ठगी की गयी धनराशि में 1,72,130/- रुपये की धनराशि वापस कराई गईः-</u>

ज्ञात हो कि वादी श्री नदीम पुत्र श्री दिलावर ग्राम चौसाना थाना झिंझाना शामली के भाई का मो0न0- 6396327150 बैंक खाते में रजिस्टर्रड था, मोबाइल नम्बर बन्द होने पर किसी अज्ञात द्वारा नम्बर प्राप्त कर उसी नम्बर पर यूपीआई चलाकर नदीम के भाई के खाते से कुल 3,03567/- रुपये निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम शामली पर मु0अ0सं0- 10/2025 धारा 318(4) BNS ,66C,66D IT ACT में पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए वादी के खाते में अब तक की कार्यवाही में 1,72,130/- रुपये वापस कराये गये। नदीम पुत्र श्री दिलावर उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद शामली ,साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली का आभार व्यक्त किया गया।

थाना साइबर क्राइम जनपद शामली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री गौरव त्यागी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

3.का0 अर्चित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

4.का0 दीपक कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

5.म0का0 तोषी ठाकुर साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-</u>

आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सन्दीप पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 सन्दीप कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

3.है0का0 सुधीर गिरि थाना बाबरी जनपद शामली।

(POCSO) अधिनियम, 2012
(POCSO) अधिनियम, 2012